बिहार सरकार,
<u>गन्ना उद्योग विभाग</u>

अधिसूचना

आदेश संख्या–02/रेगु॰–02–7003/2021– /पटना, दिनांक जुलाई, 2026

राज्य में गन्ना आधारित उद्योगों के व्यापक विकास, नई चीनी मिलों की स्थापना, किसानों की आय में वृद्धि तथा रोजगार सृजन को नई गति देने के उद्देश्य से "बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति–2026" को मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति दी गयी है। गन्ना उद्योग विभाग द्वारा इससे संबंधित संकल्प संख्या–1231 दिनांक–25.06.2026 निर्गत किया गया है।

2. विभागीय संकल्प संख्या–1231 दिनांक–25.06.2026 के आलोक में ईखायुक्त, बिहार की अध्यक्षता में विभाग में प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा और इस नीति के अधीन आवेदक/निवेशकों को पूँजी अनुदान/आर्थिक सहायता/प्रतिपूर्ति को उपलब्ध कराने की अनुमति के लिए एक परियोजना अनुश्रवण समिति (Project Monitoring Committee-PMC) निम्न रूप से गठित की जाती है:–

क्रमांक	पदनाम	स्थिति
I	ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार	अध्यक्ष
II	संयुक्त सचिव/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
III	आंतरिक वित्तीय सलाहकार/वित्त विभाग, बिहार सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
IV	संयुक्त ईखायुक्त/सहायक ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार	सदस्य सचिव
V	निदेशक, (एम.एस.एम.ई. निदेशालय), उद्योग विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
VI	संयुक्त निदेशक (ईख विकास),गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार	सदस्य

3. इस नीति के अधीन गठित परियोजना अनुश्रवण समिति इस नीति के शर्तो के अनुसार आवेदक की पात्रता के आधार पर अनुदान की मंजूरी और संवितरण का निर्णय करेगी।

4. इस नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और इस नीति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रक्रिया सुधार एवं आवश्यक सरलीकरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा। पी०एम०सी स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए जिम्मेवार होगें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(धर्मेन्द्र सिंह)
सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग।

कृ॰पृ॰उ॰

ज्ञापांक– 02/रेगु॰–02–7003/2021– /पटना, दिनांक जुलाई, 2026

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी (सी॰डी॰ में) तथा हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय।

ह०/–
सचिव।

ज्ञापांक– 02/रेगु॰–02–7003/2021– /पटना, दिनांक जुलाई, 2026

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सचिव।

ज्ञापांक– 02/रेगु॰–02–7003/2021– /पटना, दिनांक जुलाई, 2026

प्रतिलिपि– मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सचिव।

ज्ञापांक– 02/रेगु॰–02–7003/2021– /पटना, दिनांक जुलाई, 2026

प्रतिलिपि–सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सचिव।

ज्ञापांक– 02/रेगु॰–02–7003/2021– /पटना, दिनांक जुलाई, 2026

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार, भवन, नई दिल्ली/सभी जिला पदाधिकारी/अध्यक्ष/सचिव, बिहार सुगर मिल्स एसोसियेशन, पटना/सभी महाप्रबंधक, राज्य की कार्यरत चीनी मिलें को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सचिव।

ज्ञापांक– 02/रेगु॰–02–7003/2021– 1316 /पटना, दिनांक 08 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि–आई॰ टी॰ प्रबन्धक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव। 08/7/26